



2026:AHC: 173602

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 1045 वर्ष 2026

कपिल देव निषाद और 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : ज्ञानमती बिंद, राजेश यादव, राम नयन साहनी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 73

माननीय न्यायमूर्ति संदीप जैन

आदेश दिनांक 04.08.2026 के माध्यम से, राज्य को बंदी (कार्पस), अर्थात्, वंदना निषाद, ब्यूटी और प्रभात निषाद को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, जो क्रमशः याचिकाकर्ता, कपिल देव निषाद की पत्नी और अवयस्क बच्चे हैं।

पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में, बंदियों (कार्पस) को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इस न्यायालय ने बंदी (कार्पस), वंदना निषाद से बातचीत किया, जिसने कहा कि, उसके वैवाहिक घर में कथित तौर पर उसके साथ की गई क्रूरता और उत्पीड़न के कारण, वह अपने पति, याची, कपिल देव निषाद के साथ रहने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, उसने स्वीकार किया कि अवयस्क बंदी (कार्पस), ब्यूटी और प्रभात निषाद, वर्तमान में उसकी अभिरक्षा में हैं। इस न्यायालय ने उसे याचिकाकर्ता के साथ सहवास फिर से शुरू करने और वैवाहिक घर में उसके साथ रहने के लिए मनाने का ईमानदारी से प्रयास किया; हालांकि, उसने स्पष्ट रूप से ऐसा करने से इनकार कर दिया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता, कपिल देव निषाद से भी बातचीत किया। उसने अपनी अलग रह रही पत्नी द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए क्रूरता और उत्पीड़न के अभिकथनों का खंडन किया और प्रस्तुत किया कि वह उसके और अवयस्क बच्चों के साथ वैवाहिक घर में रहने और उनके प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए तैयार और इच्छुक है। हालांकि, इस न्यायालय के समक्ष बातचीत से, यह स्पष्ट है कि अलग रह रही पत्नी याचिकाकर्ता के साथ वैवाहिक सहवास फिर से शुरू करने के लिए इच्छुक नहीं है।

तत्पश्चात इस न्यायालय ने लगभग 13 वर्ष की आयु की अवयस्क बंदी (कार्पस) ब्यूटी से बातचीत किया, जो कक्षा सातवीं में पढ़ रही है। उसने कहा कि वह अपनी माता वंदना निषाद के साथ रह रही है, और उनकी संगति में सहज और सुरक्षित है। उसने आगे कहा कि उसके नाना-नानी और मौसी भी उनके साथ रह रहे हैं। उसने स्पष्ट रूप से याची, कपिल देव निषाद के साथ रहने की अपनी अनिच्छा व्यक्त किया।

इस न्यायालय ने लगभग 8 वर्ष की आयु के अवयस्क बंदी (कार्पस), प्रभात निषाद से भी बातचीत की, जो कक्षा दूसरी में पढ़ रहा है। उसने कहा कि वह अपनी माता और नाना-नानी की संगति में सहज है और उसने अपने पिता के साथ रहने की अपनी अनिच्छा व्यक्त किया।

यह सत्य है कि अवयस्क बंदियों (कार्पस) द्वारा व्यक्त की गई इच्छाएं, विशेष रूप से उनकी आयु और समझ को ध्यान में रखते हुए, उचित विचार के पात्र हैं। हालांकि, अवयस्कों की अभिरक्षा से संबंधित मामलों में, सर्वोपरि विचार उनका कल्याण और सर्वोत्तम हित है, न कि केवल उनके द्वारा व्यक्त की गई प्राथमिकता या माता-पिता के प्रतिस्पर्धी दावे। न्यायालय को समग्र परिस्थितियों का परीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि अवयस्कों की अभिरक्षा के लिए की गई व्यवस्था उनकी शारीरिक, भावनात्मक, शैक्षिक और वित्तीय भलाई सुनिश्चित करे।

वर्तमान वाद में, बंदी (कार्पस), वंदना निषाद ने स्वीकार किया है कि वह लाभकारी रूप से कार्यरत नहीं है और उसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है। उसने अवयस्क बंदियों (कार्पस) की शिक्षा, भरण-पोषण और समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अपने पास उपलब्ध साधनों को इंगित करने वाला कोई शपथपत्र भी दाखिल नहीं किया है। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता, कपिल देव निषाद लाभकारी रूप से कार्यरत है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास आय का एक स्थिर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



स्रोत है और अवयस्क बच्चों की शिक्षा, भरण-पोषण और अन्य वैध आवश्यकताओं को प्रदान करने के साधन हैं।

परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि, यद्यपि अवयस्क बंदियों (कार्पस) ने अपने पिता के साथ रहने की अपनी अनिच्छा व्यक्त किया है, लेकिन उनके कल्याण को केवल ऐसी प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय के समक्ष वर्तमान में उपलब्ध सामग्री इंगित करती है कि याचिकाकर्ता अवयस्क बंदियों (कार्पस) की शिक्षा, भरण-पोषण और समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय और अन्यथा रूप से बेहतर स्थिति में है। इसके साथ ही, न्यायालय अवयस्क बच्चों और उनकी माता के बीच भावनात्मक बंधन को संरक्षित करने के महत्व को भी नहीं भूल सकता है।

तदनुसार, अवयस्क बंदियों (कार्पस) के सर्वोपरि हित और कल्याण में, यह न्यायालय उनकी अभिरक्षा याचिकाकर्ता, कपिल देव निषाद को सौंपना उपयुक्त समझता है। हालांकि, ऐसी अभिरक्षा माता को उसके संबंध और बच्चों के साथ निरंतर भावनात्मक बंधन से वंचित करने के लिए संचालित नहीं होगी। इसलिए, प्रत्यर्थी, वंदना निषाद को निम्नलिखित मुलाकात और बातचीत के अधिकार होंगे:

- (i) वह पूर्वोक्त अवधि के भीतर आपसी सुविधाजनक समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रत्येक दिन शाम 6:00 बजे से रात 9:00 बजे के बीच अवयस्क बंदियों (कार्पस) के साथ बातचीत करने की हकदार होगी।
- (ii) वह याचिकाकर्ता के निवास पर जाकर, जब भी चाहे अवयस्क बंदियों (कार्पस) से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए भी स्वतंत्र होगी, बशर्ते कि ऐसी मुलाकात शांतिपूर्ण ढंग से और अवयस्क बच्चों की शिक्षा, दिनचर्या या भलाई में कोई बाधा उत्पन्न किए बिना आयोजित की जाए।
- (iii) याचिकाकर्ता पूर्वोक्त मुलाकात और वीडियो बातचीत को सुविधाजनक बनाने में सभी उचित सहयोग प्रदान करेगा और उसमें कोई अनावश्यक बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।

संबंधित राज्य प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पूर्वोक्त व्यवस्था शांतिपूर्ण ढंग से लागू की जाए और किसी भी पक्षकार द्वारा कोई अनावश्यक हस्तक्षेप या बाधा उत्पन्न न की जाए।

पूर्वोक्त निर्देशों के साथ, वर्तमान याचिका निस्तारित की जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति संदीप जैन)

18 अगस्त, 2026

हिमांशु

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”